बिहार सरकार
न्यायालय आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019-592/311-1781 दिनांक-21/05/2019

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सभी अपर मुख्य सचिव/
सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/
सभी निदेशालय के निदेशक/मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं
कार्यक्रम-कार्यान्वयन का कार्यालय, बिहार

विषय :- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 का राज्यान्तर्गत सम्यक अनुपालन हेतु अधिनियम की विविध धाराओं अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

यह पत्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के प्रावधानों का राज्यान्तर्गत सम्यक अनुपालन से सम्बन्धित है। इसमें अधिनियम के विविध धाराओं एवं इसमें वर्णित प्रावधानों का विवरण उपलब्ध कराते हुए इसके अनुपालन हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं।

दिव्यांगजनों के अधिकारों के सम्बन्ध में वर्त्तमान में प्रवृत्त दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 (आगे से अधिनियम,2016) की विविध धाराओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों को संगत दायित्व सौंपे गए हैं। अधिनियम,2016 की धारा-80 एवं 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकरों व उपलब्ध सुरक्षापायों से सम्बन्धित मामले में समुचित प्राधिकारयों को निदेशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहण के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई है।

अधिनियम,2016 दिव्यांगजनों के अधिकारों की संरक्षा, उनके समाज में पूर्ण प्रभावी भागीदारी, समता/अविभेद तथा उनकी क्षमता के उपयोग हेतु समुचित वातावरण प्रदान करने के मूल उद्देश्यों को परिपूरित करता है। विदित हो कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-2 (zc-2) के अन्तर्गत निम्न 21 प्रकार की विनिर्दिष्ट दिव्यांगता यथा: चलन्त संबंधी दिव्यांगता, मांसपेशिया दुर्विकास, ठीक किया हुआ कुष्ठ, प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, अम्ल हमले की पीड़ित, कम दृष्टि, दृष्टिहीनता, श्रवण क्षति, सुनने में कठिनाई, बाक और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मानसिक रूग्णता, क्रोनिक स्त्रायविक स्थिति, बहुल काठिन्य, पार्किन्सन रोग, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया एवं सिकल सेल रोग को शामिल किया गया है। अधिनियम की निम्न धाराओं के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़े समता और अविभेद, संरक्षण और सुरक्षा, सामुदायिक जीवन, क्रूरता और मानवीय व्यवहार से संरक्षा, दुरूप्रयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षा संबंधी, गृह व कुटुंबजीवन संबंधी प्रावधान उल्लिखित है। इनका विवरण निम्नवत है :-

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 से सम्बन्धित धाराऐं		
धारा-3 (समता और अविभेद)		(1) समुचित सरकार, यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान, समता, गरिमा के साथ जीवन के और उसकी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान के अधिकार का उपभोग करे। (2) समुचित सरकार, समुचित वातावरण प्रदान करके दिव्यांगजनों की क्षमता का उपयोग करने के लिए उपाय करेगी। (3) किसी दिव्यांगजन के साथ दिव्यांगता के आधार पर तब तक विभेद नहीं किया जाएगा जब तक कि यह दर्शित नहीं कर दिया जाता है कि आक्षेपित कृत्य या लोप, विधिसंगत उद्देश्य को प्राप्त करने का आनुपातिक साधन है। (4) कोई व्यक्ति केवल दिव्यांगता के आधार पर उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। (5) समुचित सरकार दिव्यांगजनो के लिए युक्तियुक्त आवासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।

धारा-4 (दिव्यांग महिला और बालक)		(1) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने का उपाय करेंगे कि दिव्यांग स्त्री और बालक अन्य लोगों की भांति समान रूप से अपने अधिकारों का उपभोग करें। (2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी दिव्यांग बालकों को उनको प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने का किसी समान आधार पर अधिकार होगा और उनकी आयु और दिव्यांगता को दृष्टि में रखते हुए उनको समुचित सहायता प्रदान की जाएगी।
धारा-5 (सामुदायिक जीवन)		(1) दिव्यांग व्यक्ति को समुदाय में जीने का अधिकार होगा। (2) समुचित सरकार यह प्रयास करेगी कि दिव्यांग व्यक्ति को,– (क) किसी विशिष्ट जीवन व्यवस्था में जीने के लिए बाध्य नहीं किया जाए; और (ख) किसी ऐसे गृह, आवास की श्रेणी और अन्य समुदाय सहारा सेवाओं में, जिनमें आयु और लिंग पर सम्यक् ध्यान देते हुए, जीवन को सहारे के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सहायता सम्मिलित है, पहुंच प्रदान की गई हैं।
धारा-6 (क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षा)		(1) समुचित सरकार, दिव्यांगजन को प्रताड़ना क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के होने से संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी। (2) कोई दिव्यांगजन,– (संदर्भ : अधिनियम,2016 की धारा–2–ZC) (i) संसूचना की पहुंच योग्य पद्धतियों, साधनों और रूपविधानों के माध्यम से अभिप्राप्त उसकी स्वतंत्र और सूचित सम्मति के बिना; और (ii) समुचित सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विहित रीति से गठित ऐसी दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए समिति की पूर्व अनुमति, जिसमें आधे से अन्यून सदस्य उसमें से या तो दिव्यांगजन या धारा 2 के खंड (यक) के अधीन यथवर्णित रजिस्ट्रीकृत संगठनों के सदस्य होंगे, के बिना, किसी अनुसंधान की प्रयोग वस्तु नहीं होगा।
धारा-7 (दुरूपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण)		(1) समुचित सरकार, दिव्यांगजनों को दूरूपयोग, हिंसा और शोषण के सभी रूपों से संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी और उनको रोकने के लिए वह,– (क) दुरूपयोग, हिंसा और शोषण की घटनाओं का संज्ञान लेगी तथा ऐसी घटनाओं के विरूद्ध उपलब्ध विधिक उपचार उपलब्ध कराएगी; (ख) ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उपाय करेगी और उनकी रिपार्ट किए जाने के लिए प्रक्रिया विहित करेगी; (ग) ऐसी घटनाओं के पीड़ितों का बचाव, संरक्षण और पुनर्वास करने के लिए उपाय करेगी; और (घ) जागृति पैदा करेगी तथा जनता को सूचनाऐ उपलब्ध कराएगी। (2) ऐसा कोई व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत संगठन, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि दुरूपयोग, हिंसा या शोषण का कोई कृत्य किसी दिव्यांगजन के विरूद्ध हुआ है या हो रहा है या उसके किए जाने की संभावना है तो वह ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी घटनाएं होती है, उसके बारे में सूचना दे सकेगा। (3) कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, यथास्थिति, उसके होने को रोकने या उसको निवारित करने के लिए तुरंत उपाय करेगा या ऐसे दिव्यांगजन के संरक्षण के लिए ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे, जिसके अंतर्गत,– (क) यथास्थिति, पुलिस या दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रहें किसी संगठन को ऐसे व्यक्ति की, यथास्थिति, सुरक्षित अभिरक्षा या उनके पुनर्वास, या दोनों की, व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत करते हुए ऐसे कार्य से पीड़ित का बचाव करने; (ख) यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी वांछा करे तो दिव्यांगजन के लिए संरक्षित अभिरक्षा उपलब्ध कराने; (ग) ऐसे दिव्यांगजनों को भरणपोषण उपलब्ध कराने, संबंधी कोई आदेश भी है। (4) कोई पुलिस अधिकारी, दिव्यांगजन के दुरूपयोग, हिंसा या अत्याचार की कोई शिकायत प्राप्त करता है या अन्यथा जानकारी प्राप्त करता है तो, व्यक्ति को निम्नलिखित की जानकारी देगा,– (क) उपधारा (2) के अधीन संरक्षण के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार की और सहायता प्रदान करने की अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट की विशिष्टियों की;

धारा-7 (दुरूपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण)		(ख) दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे निकटतम संगठन या संस्था की विशिष्टियों की; (ग) निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार की; और (घ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या ऐसे अपराध से निपटने वाली किसी अन्य विधि के अधीन शिकायत फाइल करने के अधिकार को; परंन्तु इस धारा की किसी बात का अर्थ किसी भी रीति में पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के कारित होने पर सूचना की प्राप्ति पर विधि के अनुसार कार्यवाही करने के कर्तव्य से मुक्त करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। (5) यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट यह पाता है कि अभिकथित कृत्य या व्यवहार भारतीय दंड संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध गठित करता है तो वह इस प्रभाव की शिकायत को, उस विषय में अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति, न्यायिक या महानगर मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा।
धारा-9 गृह और कुटुंब		(1) किसी दिव्यांग बालक को दिव्यांगता के आधार पर सिवाय किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के, यदि बालक के सर्वोत्तम हित में अपेक्षित हो, उसके अभिभावकों से पृथक् नहीं किया जाएगा। (2) जहां अभिभावक दिव्यांग बालक की देखभाल करने में असमर्थ है, तो सक्षम न्यायालय ऐसे बालक को उसके नजदीकी नातेदारों के पास रखेगा और ऐसा न हो पाने पर कौटुम्बिक परिवेश में, समुदाय में या आपवादिक दशाओं में, यथापेक्षित, समुचित सरकार या गैर–सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आश्रय स्थलों में रखेगा।
"अधिनियम,2016 इन्टरनेट माध्यम एवं इस कार्यालय के बेवसाइट पर सरलता से उपलब्ध है"।		

स्पष्ट है कि ये उक्त प्रावधान अधिनियम के मूल उद्देश्यों के संगत प्रावधान है, जिनका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

उक्त वर्णित प्रावधानों का अनुपालन संबंधित तंत्र व इसकी विविध स्तरीय संचालन इकाईयों अर्थात पदाधिकारी व कर्मचारियों के कार्य व्यवहार को प्रावधान अन्तर्गत वर्णित निदेश अनुरूप ढाल कर ही प्राप्त किया जा सकता है। इन प्रावधानों की प्रकृति तंत्र के कार्य व्यवहार में यथा आवश्यक अपेक्षित परिवर्तन की माँग करती है। उल्लेख पूर्वक कहना है कि अधिनियम,2016 के संगत राज्य सरकार द्वारा भी दिव्यांगजन अधिकार नियमावली,2017 अधिनियम के अनुपालनार्थ जारी की जा चुकी है। उक्त धाराओं के अन्तर्गत वर्णित धाराओं के उल्लंघन संबंधी विविध शिकायतें इस न्यायालय को प्राप्त हो रहे हैं।

उक्तानुसार अनुरोध है कि अपने प्राधिकार स्थित समस्त अधीनस्थ इकाईयों को अधिनियम,2016 के उक्त प्रावधानों के अनुपालन हेतु संवेदित व जागरूक करें तथा इन्हें कार्य व्यवहार में शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करें। इसे कर्मियों के कार्य मूल्यांकन के अंग के रूप में भी शामिल किया जा सकता है। इससे सम्पूर्ण तंत्र में अधिनियम,2016 के तहत दिव्यांगजनों को प्रदत्त अधिकारों की संरक्षा व मानवीय भेदभाव व मानवता के भाग के रूप में दिव्यांगजनों की भिन्नता के लिए आदर व इसकी ग्राह्यता का परिपोषण हो सकेगा। अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में कृत कार्रवाई प्रतिवेदन भी इस न्यायालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

उक्त विषय में यह भी अनुरोध किया जाता है कि प्रत्येक विभाग/निदेशालय स्तर पर समुचित पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए इसकी सूचना (नाम/पदनाम व सम्पर्क विवरण सहित) इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें। ये नोडल पदाधिकारी अधिनियम,2016 के सम्बन्धित क्षेत्राधीन अनुपालन स्थिति के विषय में इस कार्यालय स्तर से सम्पर्क करने तथा इससे जुड़े आवश्यक प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होंगे।

विश्वासभाजन

21.05.19

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019-592/आ.नि.श.   दिनांक-21/05/2019

प्रतिलिपि:-उप मुख्य आयुक्त, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

21.05.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019-592/आ.नि.श.   दिनांक-21/05/2019

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

21.05.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019-592/आ.नि.श.   दिनांक-21/05/2019

प्रतिलिपि:-बेवसाइट प्रभारी, कार्यालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना को सूचित किया जाता है कि उक्त पत्र को कार्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करें ताकि दिव्यांगजनों एवं दिव्यांगता प्रक्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को इससे सम्बन्धित सूचना प्राप्त हो सके।

21.05.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।